न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः– उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 03/2024
स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रार्थी

बनाम

श्री राजुराम पुत्र श्री नंदराम, जाति जाट निवासी धनियासर त. रावतसर

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः– 1 श्री शिवराज सिंह बराड राजकीय अधि0।
2 श्री रामकुमार कस्वां अभिभाषक अप्रार्थी।

–:निर्णयः–

दिनांकः –27.03.2024

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य इस प्रकार है दिनांक 02.02.2024 को विश्व प्रकाश चारण तहसीलदार, संगरिया द्वारा संगरिया में संदिग्ध रूप से घुमती हुई पिक अप वाहन संख्या RJ-31GB-9145 को रोककर जॉच की गई। श्री राजुराम पुत्र श्री नंदराम, जाति जाट निवासी धनियासर त. रावतसर जिला हनुमानगढ का रहने वाला है, जिससे डीजल के अवैध स्टॉक, परिवहन तथा बेचान का प्रकरण पाये जाने पर उक्त वाहन को मय ड्रम व जेरिकन तथा 3171 लीटर डीजल जब्त किया गया। उक्त जब्तशुदा वाहन मय 3171 लीटर डीजल पुलिस थाना संगरिया को सुपुर्दगी में दिया गया। उक्त पिक अप वाहन में बड़ी मात्रा में डीजल के पाये जाने से डीजल की खरीद–बिक्री का मामला पाया पर डीजल के अवैध स्टॉक, अवैध परिवहन तथा अवैध बिक्री / व्यापार के कारण मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनिमयन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 3 तथा 4 का उल्लंघन पाया गया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब्तशुदा कुल 3171 लीटर डीजल मय 11 ड्रम व 04 जेरिकन एवं पिकअप वाहन संख्या RJ-31GB-9145 को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया।

अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित आकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कि जब्तशुदा डीजल का पुनः नाप करवाया जाये। जिस पर इस न्यायालय के पत्रांक 169 दिनांक 14.03.2024 द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को पुनः जांच हेतु लिखा गया। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ ने दिनांक 22.03.2024 को जब्तशुदा वस्तु की पुनः नाप कर रिपोर्ट प्रेषित की। पुनः नाप की रिपोर्ट ... जब्तशुदा वाहन पिकअप में रखे कुल 11 ड्रमों तथा 04 जरीकेन में कुल 2472 लीटर ...

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा दिनांक 22.03.2024 को जवाब पेश किया। जिसके तथ्य इस प्रकार है कि उक्त वाहन की जांच दिनांक 02.02.2024 को किया जाना स्वीकार है। अप्रार्थी के वाहन में 3171 लीटर डीजल नहीं था क्योंकि अप्रार्थी बालाजी पम्प से केवल मात्र 2440 लीटर डीजल ही भरवाकर लाया था। इस न्यायालय के आदेश की पालना में

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ (राज0)
Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:13:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ वाहन के टैंक में रखे डीजल सहित ही 2500 लीटर डीजल से कम मात्रा में डीजल प्रार्थी के वाहन में पाया है, जिससे अप्रार्थी के विरूद्ध कोई मामला नहीं बनता है। भारत सरकार के पैट्रोलियम मंत्रालय के आदेश के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में 2500 लीटर तक पैट्रोलियम पदार्थ की खरीद सकता है। तहसीलदार संगरिया ने लदे डीजल का बिना नाप किये बिना आधार के 3171 लीटर डीजल होना बताकर जब्ती की कार्यवाही की है, जो कतई विधि विरूद्ध है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक होती तो 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः जबाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध की गई धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही ड्रॉप फरमायी जावे।

राजकीय अभिभाषक ने एकपक्षीय बहस में कथन किया है कि तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा जब्तशुदा जब्तशुदा डीजल मय 11 ड्रम व 04 जेरिकन एवं पिकअप वाहन संख्या RJ-31GB-9145 जब्त किया गया है। उक्त ड्रमों व जेरिकन की क्षमता देखी जाये तो 2500 लीटर से अधिक है। तहसीलदार द्वारा अवैध स्टॉक परिवहन तथा बेचान का प्रकरण पाये जाने पर जब्ती की कार्यवाही की गयी है। अवैध स्टॉक परिवहन तथा बेचान का प्रकरण पाये जाने पर अवैध पेट्रोल, डीजल रखना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा डीजल मय उपकरण राजसात किया जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा अपने 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की प्रार्थना पत्र में 3171 लीटर डीजल मय 11 ड्रम व 04 जेरिकन एवं पिकअप वाहन संख्या RJ-31GB-9145 जब्त होना बताया गया जबकि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ की पुनः नाप की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी से कुल 2472 लीटर डीजल मय 11 ड्रम व 04 जेरिकन एवं पिकअप वाहन संख्या RJ-31GB-9145 तहसीलदार से जब्त होना बताया गया है।

1. वर्तमान प्रकरण में तहसीलदार संगरिया द्वारा जब्तशुदा 3171 लीटर डीजल 11 ड्रमों व 04 जेरिकनों में होना बताया गया है। यह स्पष्ट नहीं किया कि उक्त डीजल की माप किस आधार पर की गई? जब्तशुदा ड्रमों व जरिकेनों के हिसाब से माप सही प्रतीत नहीं होता है। तहसीलदार संगरिया द्वारा यह भी अंकित नहीं किया कि किस–किस ड्रम व जरीकेन में कितना–कितना लीटर डीजल भरा हुआ था या कितने–कितने खाली थे? ना ही नाप का तरीका अंकित किया, जिससे स्पष्ट है कि केवल अनुमान के आधार पर कार्यवाही की है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। जबकि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ की रिपोर्ट के अनुसार उक्त डीजल की माप 2472 लीटर ही है।

2. वर्तमान प्रकरण पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध परिवहन एवं संग्रहण से सम्बन्धित है। पेट्रोलियम पदार्थो के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश 1990 तथा केन्द्र सरकार द्वारा आदेश 1999 व 2005 जारी किये गये है। पेट्रोलियम पदार्थों के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश अधिभावी होंगे। ऐसी दशा में जहां कि केन्द्र सरकार के आदेश 1999 की धारा 2 एफ के तहत 2500 लीटर तक किसी व्यक्ति को एक ही समय में पेट्रोलियम पदार्थ विक्री किया जा सकता है तो यह स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रख अथवा खरीद सकता है। जहां पेट्रोलियम पदार्थ के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के किसी आदेश का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है। वहां ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ के सम्बन्ध में धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें ।

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:13:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

3. अप्रार्थी के विरूद्ध कोई 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज नहीं है।

उक्त विवेचना के आधार पर केन्द्र सरकार की अधिसूचना 1999 की धारा 2 एफ के तहत 2500 लीटर पैट्रोलियम उत्पाद कोई भी व्यक्ति रख सकता है। अप्रार्थी राजुराम के पास 2472 लीटर डीजल रखने का अधिकार था। अप्रार्थी को 2472 लीटर डीजल रखने के लिये किसी लाईसेन्स / परमिट की आवश्यकता नहीं थी। उक्त पैट्रोलियम पदार्थ अप्रार्थी के द्वारा किसी को विक्रय किया जा रहा हो अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई अपराध किया जा रहा हो ऐसा रिकॉर्ड से प्रकट नहीं होता है। दस्तावेज / साक्ष्य के अभाव में स्टेट द्वारा प्रस्तुत 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है ।

स्टेट द्वारा प्रस्तुत 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रार्थना ड्रॉप किया जाना उचित समझते है। तहसीलदार (राजस्व) संगरिया द्वारा जब्तशुदा उक्त जब्तशुदा समस्त 2472 लीटर डीजल मय 11 ड्रम व 04 जेरिकन एवं पिकअप वाहन संख्या RJ-31GB-9145 जब्ती से बागुजार (मुक्त) किया जाता है व आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा वाहन के इंजन नम्बर व चौसीस नम्बर का पंजीयन कॉपी (आरसी) से मिलान सही पाये जाने पर नियमानुसार वाहन मालिक को सौंप दिया जाये तथा 2472 लीटर डीजल मय 11 ड्रम व 04 जेरिकन अप्रार्थी को सौंप दिये जाये। निर्णय की प्रति / तहसीलदार एवं जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/3/2024

(उमेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:13:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner